न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील: 06/2016

दायर दिनांक: 15.03.2016

निर्णय दिनांक 15.07.2019

—:अनवान:—

1. श्री लाभचन्द पिता अम्बालाल महाजन निवासी केलवा
2. श्री शंकरलाल पिता अम्बालाल महाजन निवासी केलवा
3. श्री सम्पतलाल पिता अम्बालाल महाजन निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द

———अपीलांट

—:बनाम:—

1. श्री हरलाल पुत्र गंगाराम सरगरा निवासी केलवा
2. श्री शान्तिलाल पिता मोहनलाल सरगरा निवासी केलवा
3. श्री राजू पिता मोहनलाल सरगरा निवासी केलवा
4. सोसरबाई बेवा मोहनलाल सरगरा निवासी केलवा
5. श्री सुरेन्द्र पिता रमेश सरगरा निवासी केलवा
6. श्री सतीश पिता रमेश सरगरा निवासी केलवा
7. अनिता पिता रमेश सरगरा निवासी केलवा
8. सरोज पिता रमेश सरगरा निवासी केलवा
9. लक्ष्मीदेवी बेवा रमेश सरगरा निवासी केलवा
10. श्री माधु पिता नाथू सरगरा निवासी केलवा
11. श्री प्रकाश पिता नाथू सरगरा निवासी केलवा
12. श्री प्रभुलाल पिता नाथू सरगरा निवासी केलवा
13. श्री श्यामलाल पिता गणेशलाल सरगरा निवासी केलवा
14. श्री हीरालल पिता गणेशलाल सरगरा निवासी केलवा
15. श्री रतनलाल पिता गणेशलाल सरगरा निवासी केलवा
16. श्री शंकरलाल पिता गणेशलाल सरगरा निवासी केलवा
17. श्री बंशीलाल पिता गणेशलाल सरगरा निवासी केलवा
18. श्रीमती प्रेमी पुत्री गणेशलाल सरगरा निवासी केलवा
19. श्रीमती बदामबाई पत्नी गणेशलाल सरगरा निवासी केलवा
20. श्री प्रेम पिता रामा सरगरा निवासी केलवा
21. श्री सुरेश पिता रामा सरगरा निवासी केलवा
22. निर्मला पिता रामा सरगरा निवासी केलवा
23. हीरा बेवा रामा सरगरा निवासी केलवा तह0 व जिला राजसमन्द
24. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

———रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द प्रकरण संख्या 03/2012 लाभचन्द वगैरा बनाम हरलाल वगैरा आदेश दिनांक 18.02.2016 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री श्यामसुन्दर पालीवाल अधिवक्तां रेस्पोडेण्टगण संख्या 1 से 7, 9 से 17, 19 से 21 व 23

3— रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 18 अनुपस्थित

3— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 24

—::निर्णय::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय मे अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25.05.1993 को केम्प के दौरान एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा आदेश जारी कर अप्रार्थीगण को ग्राम केलवा के आराजी नं0 1023 रकबा 00.17 बीघा का कब्जा प्रार्थीगण से दिलवाया गया। तहसीलदार, राजसमन्द के उक्त आदेश की अपील अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर बाद सुनवाई दिनांक 19.09.1997 को न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित आदेश के द्वारा तहसीलदार, राजसमन्द के दिनांक 25.05.1993 के कब्जा दिलवाने के आदेश को अपास्त करते हुए पुनः विधिवत सूनवाई बाद निर्णय के लिये पत्रावली तहसीलदार, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित की। तहसीलदार, राजसमन्द के द्वारा उक्तानुसार आदेश की पालना मे निर्णय दिनांक 31.07.1998 को अपने निर्णय द्वारा यह फैसला दिया कि चूंकि वर्तमान आराजी नं0 1023 रकबा 00.17 बीघा भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी मे है तथा इन्हे दिनांक 25.05.1993 को कब्जा दिलवाया जा चुका है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करना शेष नहीं रहने से कार्यवाही ड्रोप की गयी। प्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 31.07.1998 के विरूद्ध अपील न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द को पेश की। माननीय जिला कलक्टर राजसमन्द के न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.07.1999 द्वारा अपील प्रार्थीगण खारिज की गयी। पुनः उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत की। दर्ज निगरानी संख्या टी.ए./12082/1999 राजसमन्द मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 19.10.2011 के अनुसार दोनो अधीनस्थ न्यायालयों तहसीलदार, राजसमन्द का आदेश दिनांक 31.07.1998 एवं जिला कलक्टर, राजसमन्द का निर्णय दिनांक 01.07.1999 निरस्त कर प्रकरण को तहसीलदार, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना समीचीन है कि वह अधिनियम की धारा 183 बी के प्रार्थना पत्र का निर्णय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं राजस्व रेकार्ड तथा मौखिक साक्ष्य लेकर विधि अनुरूप पारित करें। परिणामतः प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की गयी। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पुनः प्रतिप्रेषित पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस सुनवाई के लिये तलब किया। तत्पश्चात दोनो पक्षों को सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित किया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण संख्या 1 से 7, 9 से 17, 19 से 21 व 23 के अधिवक्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 24 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 18 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। तहसीलदार, राजसमन्द से पत्रावली तलब की गयी।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा दिनांक 25.05.1993 के दौरान एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा आदेश जारी कर रेस्पोडेन्ट्स को ग्राम केलवा के आराजी नं0 1023 रकबा 00.17 बीघा भूमि का कब्जा अपीलांट से दिलवाया गया । तहसीलदार राजसमन्द के उक्त आदेश की अपील रेस्पोडेन्ट्स द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर बाद सुनवाई दिनांक 19.09.1997 को न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा पारित आदेश के द्वारा तहसीलदार, राजसमन्द के दिनांक 25.05.1993 के कब्जा दिलवाने के आदेश को अपास्त करते हुए पुनः विधिवत सूनवाई बाद निर्णय के लिए पत्रावली तहसीलदार राजसमन्द को प्रतिप्रेषित की। तहसीलदार, राजसमन्द के द्वारा उक्तानुसार आदेश की पालना मे यह निर्णय दिनांक 31.07.1998 को अपने निर्णय द्वारा यह फैसला दिया कि चूंकि वर्तमान मे आराजी संख्या 1023 रकबा 00.17 बीघा भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी मे है तथा इन्हे दिनांक 25.05.1993 को कब्जा दिलवाया जा चुका है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करना शेष नहीं रहा है अतः कार्यवाही ड्रोप की जाती है। इस प्रकार तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा ड्रोप की गयी कार्यवाही के आदेश के विरूद्ध आप न्यायालय में अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 31.

07.1998 के विरूद्ध अपील पेश की। माननीय जिला कलक्टर राजसमन्द के न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.07.1999 द्वारा अपील अपीलांट खारिज की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत की। जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 19.10.2011 से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द एवं जिला कलक्टर, राजसमन्द के निर्णय दिनांक 31.07.1998 एवं 01.07.1999 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार, राजसमन्द को रिमाण्ड किया गया कि तहसीलदार, राजसमन्द अधिनियम की धारा 183 बी के प्रार्थना पत्र का निर्णय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं राजस्व रेकार्ड तथा मौखिक साक्ष्य लेकर विधि अनुरूप पारित करें। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के उक्त निर्देश की पालना नहीं की है और प्रकरण में साक्ष्य लिये बगैर ही प्रकरण को खारिज किया गया है। तथा राजस्व मण्डल के आदेश की भी पालना नहीं की गयी है। प्रार्थी द्वारा कब्जा पुनः दिलाने के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी0 को गलत रूप से खारिज किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त होने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटी नही की है। अपीलार्थी के पक्ष मे राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2005 के विरूद्ध द्वितीय अपील अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है तथा राजस्व अपील अधिकारी के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल मे प्रस्तुत की गयी अपील में दिनांक 28.11.2005 को वादग्रस्त भूमि की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है। अपील आज भी राजस्व मण्डल मे विचाराधीन है इसलिए धारा 144 जा0दी0 की कार्यवाही के जरिये अपीलार्थी को उक्त भूमि का कब्जा पुनः रेस्पो0 से नहीं दिलाया जा सकता। राजस्व मण्डल का स्टे होने के कारण उक्त अपील ही मेन्टेनबल नहीं है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा जारी स्थगन के संबंध में निवेदन किया है कि वर्ष 2005 के बाद उक्त मामले में स्थगन न्यायालय द्वारा आगे बढाया हो और आज भी स्थगन प्रभावी हो ऐसे कोई आदेश रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे व आप न्यायालय मे प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व मण्डल द्वारा ही वर्ष 2005 के बाद वर्ष 2011 में अपीलार्थी की अपील पर निर्णय करते हुए प्रकरण को तहसीलदार, राजसमन्द के यहां पर रिमाण्ड किया था इस अपील के आदेश मे भी राजस्व मण्डल द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निर्णय एवं डिक्री होना उल्लेखित किया है। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट की अपील में किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय एवं आप न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया है।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी संख्या 12082/1999 लाभचंद वगैराह बनाम हिरा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2011 के अनुसरण में पुनः दर्ज की थी राजस्व मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 19.10.2011 के तहत निगरानी को आंशिक स्वीकार करते हुए दोनो अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किए जाकर प्रकरण तहसीलदार, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि तहसीलदार, राजसमन्द अधिनियम की धारा 183 बी के प्रार्थना पत्र का निर्णय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं राजस्व रेकार्ड तथा मौखिक साक्ष्य लेकर विधि अनुरूप पारित करें। उक्त आदेश की पालना में दर्ज किये गये प्रकरण में अपीलांट अधिवक्ता अनुसार तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा राजस्व मण्डल के आदेश की पालना में केवल पक्षकारान को नोटिस जारी कर अप्रार्थी का जवाब प्राप्त कर प्रकरण का विश्निचय कर दिया गया है। जबकि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य लेकर विधि अनुसार निर्णय पारित करना था किन्तु उक्त मामले मे ऐसा नहीं किया गया है। अपीलांट के

H.

कथन अनुसार राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 19.10.2011 के अनुसार तहसीलदार राजसमन्द द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया। अपीलांट अधिवक्ता अनुसार तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति यह है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि आराजी नं0 1023 रकबा 17 बिश्वा रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज है। राजस्व प्रकरणों मे जमाबंदी सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य है और यदि कोई तथ्य राजस्व अभिलेख से प्रमाणित होता है तो मौखिक साक्ष्य का औचित्य नहीं रह जाता है, और न ही मौखिक साक्ष्य के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य (राजस्व अभिलेखो) विरूद्ध कोई रिलिफ किसी पक्षकार को दिया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति से संबंध रखते है और इसी संबंध में घोषणा के अतिरिक्त किसी भी वाद मे अपीलांट को कोई रिलिफ नही दिया जा सकता है। अपीलांट यदि वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार रखता है तो पहले सक्षम न्यायालय से अपने पक्ष में डिक्री का आदेश पारित करवाये। परन्तु जब तक राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज है, जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है, तब तक अपीलांट को कानूनन कोई रिलिफ नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम पर दर्ज है। राजस्व मण्डल द्वारा जब तक विचाराधीन अपील मे अंतिम निर्णय नहीं होता है तब तक तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा अपीलांट को उक्त भूमि का पुनः कब्जा दिलाया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

—::आदेश::—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 18.02.2016 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के पुनः लौटायी जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द